पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1118
दिनांक-15.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बक्शी का तालाब

- **थाना बीकेटी, लखनऊ क्षेत्र में अपहरण कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अपहृत व्यक्ति को सकुशल किया गया बरामद।**
- **अपहर्णकर्ताओं के पास से 500/- रू0 की 4 गड्डी कुल 02 लाख रूपये व 01 अदद मोबाइल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 15.05.2025 को आवेदक श्री इमरान पुत्र श्री रउफ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अज्ञात 02 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12.05.2025 को समय करीब सायं 06 बजे उसके भाई इमरान उम्र करीब 35 वर्ष को मारपीट कर गाडी में बैठा कर अपहरण कर लिया गया है तथा 02 लाख रूपये फिरौती की मांग किया जा रहा है। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 140(2) बीएनएस दर्ज किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तरी द्वारा पुलिस टीम गठित की गयी। अपहृत व्यक्ति के भाई इमरान द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि अपहर्णकर्ताओं द्वारा व्हाट्सएप काल व फोन काल कर उसके भाई इरफान को वापस करने के बदले 02 लाख रुपये कि फिरौती अचरामऊ अण्डरपास के पास मांगी जा रही है अगर पैसे नहीं दूंगा तो मेरे भाई के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 14/15.05.2025 की रात्रि में समय करीब 03.00 बजे अचरामऊ तिराहा किसान पथ सर्विस लेन के पास से 03 अभियुक्त 1.उत्कर्ष सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी सरायगनी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ 2.मो0 मुफीद पुत्र मो0 मुजीब निवासी रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ 3.रामचन्द्र उर्फ अब्दुल्ला पुत्र शिवनाथ निवासी बसंतनगर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को अन्तर्गत धारा 140(2)/308(5)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया तथा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को पीड़ित/अपहृता द्वारा पहचान किया गया है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के पास से 500/- रू0 की 04 गड्डी कुल 02 लाख रूपये व 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया।

02-अपराध का उद्देश्य:-

- अभियुक्त गणों द्वारा अपने भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु योजना बनाकर अपहरण जैसी गम्भीर घटना कारित करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.उत्कर्ष सिंह पुत्र संतोष कुमार सिंह निवासी सरायगनी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष, व्यवसाय - लैब टेक्नेशियन।

2.मो0 मुफीद पुत्र मो0 मुजीब निवासी रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ, उम्र करीब 26 वर्ष व्यवसाय - एसी मकैनिक।

3.रामचन्द्र उर्फ अब्दुल्ला पुत्र शिवनाथ निवासी बसंतनगर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 27 वर्ष व्यवसाय - मजदूरी।

04-बरामदगी-

- अभियुक्तगणों के पास से 500/- रू0 की 04 गड्डी कुल 2 लाख रूपये
- 01 अदद मोबाइल बरामद।

05-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम -

थाना बीकेटी पुलिस टीम	क्राइम ब्रांच,क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी
1. उ0नि0 अनुराग गोस्वामी 2. उ0नि0 अशोक कुमार सिंह 3. उ0नि0 अशोक कुमार यादव 4. उ0नि0 शेष मणि मिश्रा 5. उ0नि0 अभिमन्यू 6. उ0नि0 अजय कुमार गौतम 7. उ0नि0 राजन सिंह 8. उ0नि0 अरूण कुमार 9. उ0नि0 सुभण सिंह 10. उ0नि0 आनन्द कुमार पटेल 11. उ0नि0 ब्रजेन्द्र कुमार 12. का0 दीपक कुमार 13. का0 अम्ब्रीश संह 14. हे0का0 आशीष सिंह	1. प्रभारी निरीक्षक स्वाट/थाना मड़ियांव शिवानन्द मिश्रा मय टीम 2. क्राइम/सर्विलांल टीम प्रभारी विश्वनाथ प्रताप सिंह मय टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1119

दिनांक-15.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अराजकतत्व को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2025 को उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय मय हमराह पुलिस बल के ग्राम विक्रमपुर में मौजूद थे कि सूचना मिली कि ग्राम विक्रमपुर मे दो व्यक्ति लडाई झगडा कर रहे है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा कि दो व्यक्ति 1. कमलेश पुत्र ईश्वरी ग्राम विक्रमपुर थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष द्वारा कुलदीप लोधी से उनके द्वारा पूर्व में लिखाये गये मुकदमे को लेकर आमदा फौजदारी हो रहा था। पुलिस बल द्वारा कमलेश उपरोक्त को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परन्तु मानने को तैयार नही हुआ और उत्तेजित होकर अमादा फौजदारी होने लगा । मौके पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत गिरफ्तारी के सिवाय अन्य कोई चारा न देख कमलेश उपरोक्त को नियमानुसार धारा 170 भा0न्या0सु0सं0 हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कमलेश पुत्र ईश्वरी ग्राम विक्रमपुर थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष व्यवसाय-बेरोजगार

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय

2.का0 दीपक तोमर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1120
दिनांक-15.05.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **बन्द दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण।**
- **थाना जानकीपुरम क्षेत्र में बन्द दुकान में चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी का सामान- 01 अदद बैटरा, 12 अदद रिंच,04 अदद पाना, 02 अदद पेचकस, 01 अदद प्लास, 01 अदद हथौड़ी, 01अदद गिरीश गन, 01 अदद इन्चीटेप, 02 अदद टोचन बरामद।**
- **थाना जानकीपुरम की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.05.2025 को वादी श्री सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र निवासी 3/864 जानकीपुरम विस्तार जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि ऋतिक नाम के व्यक्ति द्वारा मेरे दुकान में घुसकर एक अदद बैटरा ,रिंच,पाना,बाजा,व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। तत्काल उक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 89/2025 धारा 331(4)/305(A)/317(2) बीएनएस बनाम 1. ऋतिक उर्फ़ ज्वाला पुत्र स्व० हरीश निवासी खरगपुर जागीर जानकीपुरम विस्तार लखनऊ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री मनीष चौहान को सुपुर्द हुई।

उपरोक्त मुकदमें में नामित अभियुक्त को वादी की दुकान साई इंटरप्राइजेज थाना जानकीपुरम लखनऊ के पास से अन्तर्गत धारा 305(A)/317(2) बीएनएस में दिनांक 14.05.2025 को समय 15.30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका/उद्देश्य

अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान में घुसकर चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.ऋतिक बहेलिया पुत्र सतीश बहेलिया निवासी – खरगापुर जागीर से0- 3 थाना जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय –कबाड़ी का काम)।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1121

दिनांक-15.05.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **अवैध तमंचा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को प्रार्थी सतीश राजपूत पुत्र श्री राम ग्राम बेलवा मजरा कठिंगरा थाना काकोरी जिला लखनऊ के द्वारा मारपीट गाली गलौज व अवैध हथियार लिए होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 115(2)/352/131/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध क्षेत्र में मामूर था कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त शुभम लोधी पुत्र स्व0 सुशील लोधी निवासी ग्राम मौदा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को दौली खेडा रोड ग्राम बेलवा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 151/2025 थाना काकोरी लखनऊ में धारा 3/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पुछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 14.05.2025 को मैं अपने दोस्तो के साथ अपनी बुआ की ननद के लड़के सतीश के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। तमंचे के संबंध में पूछा गया तो बताया कि यह तमंचा मैं सिर्फ डराने के लिए लेकर आया था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम लोधी पुत्र स्व0 सुशील लोधी निवासी ग्राम मौदा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0151/2025 धारा 115(2)/352/131/333 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना काकोरी लखनऊ।

05-बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद।

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस—

1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार सिंह कोतवाली काकोरी लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अंशुमान कुमार कोतवाली काकोरी लखनऊ
3. का0 देवेन्द्र लवानियाँ कोतवाली काकोरी लखनऊ
4. का0 गौरव भदौरिया कोतवाली काकोरी लखनऊ
5. का0 मोहित कुमार कोतवाली काकोरी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1116
दिनांक 15.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- महिगवां

- **15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **ट्रांसफॉर्मर चोरी एवं थाना मलिहाबाद से 02 चोरी के मामलों में वांछित।**
- **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला: 06 पूर्व मामले दर्ज।**

01-सक्षिप्त विवरण एवं कार्यवाही:-

चोरी की शिकायत:

दिनांक **24 फरवरी 2025** को श्री संजय यादव (अवर अभियंता, 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, साढ़ामऊ) ने थाना हाजा में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम **पहाड़पुर** स्थित **250 केवीए ट्रांसफॉर्मर** से तेल और पुर्जे (JOB) चोरी हुए हैं। इसके आधार पर **मु०अ०सं० 27/2025, धारा 303(2) भा०नि०सं०** के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुरस्कार की घोषणा:

- अभियुक्त एक **"शातिर अपराधी"** है जिसके विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी और जालसाजी के कई मामले पंजीकृत हैं। अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है ।
- वर्तमान में, थाना मलिहाबाद से दो चोरी के मामलों में अभियुक्त **"वांछित"** चल रहा था
- अभियुक्त एक **शातिर चोर** है, जो स्थायी ठिकाना न होने के कारण लंबे समय से फरार था। पुलिस द्वारा लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी।
- गिरफ्तारी हेतु **पुलिस उपायुक्त (उत्तरी)** द्वारा **12 मई 2025** को **15,000 रुपये** का इनाम घोषित किया गया था।
- थाना महिगवां पुलिस की सक्रियता, मुखबिर नेटवर्क और सूचना तंत्र के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी संभव हुई।

गिरफ्तारी की कार्रवाई:

- दिनांक **14 मई 2025** को मुखबिर सूचना के अनुसार, **उपनिरीक्षक नीलेंद्र प्रताप** ने **थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह** के निर्देशन में एक पुलिस टीम के साथ **कैरियर चौराहा, आईआईएम रोड** पर छापा मारा।
- **लवकुश कश्यप** (24 वर्ष), जो काले शर्ट में एक सफेद पिपिया लिए खड़ा था, को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से **4-5 लीटर ट्रांसफॉर्मर तेल** और **1,100 रुपये नकद** बरामद हुए।
- गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक **15 मई 2025** को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।

02-अपराध का उद्देश्य:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ट्रांसफॉर्मरों से तेल, कॉपर तार व पुर्जे एवं मोटरसाइकलों की चोरी करना।
- चोरी के माल को बेचकर आर्थिक लाभ कमाना।

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त

01-मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2)/336(2)/345(3)/347(1) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
02-मु0अ0सं0 368/2024 धारा 303(2)/317(2)/336(2)/345(3)/347(1) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ
03-मु0अ0सं0 349/2024 धारा 317(2)/336(2)/345(3)/347(1) बीएनएस थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ
04-मु0अ0सं0 22/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
05-मु0अ0सं0 37/2025 धारा 2303(2)/317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
06-मु0अ0सं0 27/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना महिगवां जनपद लखनऊ

(नोट:- अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।)

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** लवकुश कश्यप (पिता: प्रेम कश्यप)।
- **आयु:** 24 वर्ष।
- **निवास:** हयातनगर, थाना दुबग्गा, लखनऊ।
- **व्यवसाय:** मजदूरी।

05-बरामदगी:

- 01 सफेद पिपिया (4-5 लीटर ट्रांसफॉर्मर तेल) ।
- 1,100/- रुपये नकद।

06-गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह (थाना महिगवां)।
2. उपनिरीक्षक नीलेंद्र प्रताप।
3. उपनिरीक्षक राहुल तिवारी।
4. उपनिरीक्षक सुनील कुमार।
5. हेड कांस्टेबल लाल मोहम्मद।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1117
दिनांक 15.05.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **लोगों को धमकाकर धन हड़पने, झूठे वादों से धोखाधड़ी, और दस्तावेजी जालसाजी करने वाले गैंगस्टर/गैंगलीडर को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना ठाकुरगंज पुलिस की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण-

ठाकुरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्रांर्गत सक्रिय गैंग के गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा व उसके गैंग के लीडर मनीष सिंह व अवनीश सिंह के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 242/25 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम सक्रिय गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा व गैंग के सदस्य मनीष सिंह व अवनीश सिंह के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

इस गैंग के लीडर/सदस्यों द्वारा जनपद के अंदर लोगों को उनकी जान-माल का भय व अपने गैंग की सक्रियता दिखाकर जनता के भोले-भाले लोगों से अपने दुनियाबी शौक व ऐशो-आराम की जिंदगी हेतु उनके साथ धोखाधडी कर धन हडपने का काम करते थे।

सक्रिय गैंगलीडर व उसके सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से गठित टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे कि दिनांक 14.05.2025 को मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर **धोखाधड़ी, जालसाजी, और समाज-विरोधी गतिविधियों में संलग्न गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा पुत्र स्व0 सुखवीर सिंह** नि0- 442/न्यू-4, जनरैलगंज निकट अतुल मेमोरियल स्कूल थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष को आईआईएम रोड निकट भिटौली चौराहे के पास से समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारशुदा गैंगलीडर के विरूद्ध कठोरतम विधिसम्मत कार्यवाही की प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है।

02-अभियुक्त का नाम व पता:

01. आशीष सिंह उर्फ राजा

- **पिता का नाम:** स्वर्गीय सुखवीर सिंह
- **पता:** नंबर- 442/न्यू-4, जनरैलगंज (अतुल मेमोरियल स्कूल के निकट), थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
- **आयु:** लगभग 40 वर्ष

03-गिरफ्तारी स्थल:

आईआईएम रोड, भिटौली चौराहा, लखनऊ (14 मई 2025 को शाम 6:30 बजे)।

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

- ***2018 से अब तक 11 मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और समाज-विरोधी गतिविधियों जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।***
- ***पिछले मामले ठाकुरगंज और वजीरगंज थानों में दर्ज।***

(1)अ0सं0 670/18 धारा 147/427/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(2)अ0सं0 436/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(3) अ0सं0 392/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(4) अ0स0 191/22 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(5) अ0सं0 248/22 धारा 448/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(6) अ0सं0 287/22 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(7) अ0सं0 288/22 धारा 341/504/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(8) अ0सं0 406/22 धारा 406/420/467/468/471/506 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
(9) अ0सं0 207/22 धारा 419/420/447/467/468/471/504 भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ
(10) अ0सं0 42/23 धारा 120बी/34/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ
(11) अ0सं0- 242/25 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीकांत राय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- व0उ0नि0 श्री अवधेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- उ0नि0 श्री पंकज सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 बृजेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 दीपनारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ